रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220942 CG-DL-E-08082020-220942

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2330] No. 2330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 2020

का.आ. 2629(अ).—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात:

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अनुदत्त निम्नलिखित व्यापक विशेषज्ञता डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम) को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

एनेस्थिसियोलॉजी में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी.ए. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
प्रसूति एवं स्त्री रोग में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी. जी. ओ. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
बाल चिकित्सा में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी. सी. एच्. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
पारिवारिक चिकित्सा में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान

3564 GI/2020 (1)

	-
डी. एफ. ऍम. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी. ओ. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
ईएनटी में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी.एल.ओ. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी. एम. आर. डी. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।
क्षय रोग और छाती रोग में डिप्लोमा:	यह अगस्त, 2020 के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदान
डी. टी. सी. डी. (एन.बी.ई.)	किये जाने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता होगी ।

[सं.वी.11025/19/2014-एमईपी] निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 6thAugust, 2020

S.O. 2629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Board of Governors in supersession of Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule of the Act, namely:

The following Broad Specialty Diploma Courses (two year courses at post MBBS level) granted by the National Board of Examinations, New Delhi shall be inserted, namely

Diploma in Anesthesiology:	This shall be recognized medical qualification when granted by National
DA(NBE)	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Obstetrics &Gynecology	This shall be recognized medical qualification when granted by National
: DGO (NBE)	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Pediatrics: DCH (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National
	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Family Medicine: D	This shall be recognized medical qualification when granted by National
Fam. Med. (NBE)	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Ophthalmology: DO	This shall be recognized medical qualification when granted by National
(NBE)	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in ENT: DLO (NBE)	This shall be recognized medical qualification when granted by National
	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Radio Diagnosis:	This shall be recognized medical qualification when granted by National
DMRD (NBE)	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.
Diploma in Tuberculosis & Chest	This shall be recognized medical qualification when granted by National
Disease: DTCD (NBE)	Board of Examinations, New Delhi after August, 2020.

[No.V.11025/19/2014-MEP] NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.